

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 21.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता मकेश पुत्र मिठाई निवासी मिश्रौलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, का0 ओमप्रकाश।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 137 वाहनों से 1,98,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 137 वाहनों से 1,98,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनांक 21.10.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के अपराध में अभियुक्ता को जेल में बिताई गयी अवधि व 19000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 21.10.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्ता को जेल में बिताई गयी अवधि व 19000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

थाना धनघटा पुलिस द्वारा ग्राम सोनहन में छापेमारी कर अभियुक्ता श्रीमती बरती पत्नी सुरेश को गिरफ्तार किया गया। मौके से 400 लीटर अवैध शराब, 15 कुंतल लहन, दो भट्टियाँ एवं शराब बनाने के उपकरण सहित यूरिया, नौसादर व फिटकरी बरामद की गई। अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 60(2) आबकारी अधिनियम एवं 272 भा०द०वि० थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री चन्द्रदेव यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

विवरण:-

मु0अ0सं0 808/2015 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्ता श्रीमति बरता देवी पत्नी सुरेश निवासी सोनहन थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम 1910 में पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि व 19000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।